भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2318
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी के अंतर्गत कंपनियां

2318. श्री बैन्नी बेहननः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या धन शोधन कानूनों की अवहेलना के लिए लगभग 1400 कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की निगरानी के अंतर्गत हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कंपनियों के मालिकों को जांच पूरी होने तक देश से बाहर जाने से रोकने के लिए इन कंपनियों और उनके मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) एवं (ख): निदेशालय ने लगभग 1100 मामलों में जांच-पड़ताल शुरु की है जिसमें जांच-पड़ताल अलग-अलग चरणों पर चल रही है। इन मामलों में कंपनियों, फर्मों, व्यष्टिगत व्यक्तियों, एलएलपी आदि सहित अनेक संस्थाएं जांच के अधीन हैं। चल रही जांच के दौरान कंपनियों सहित इन संस्थाओं के नामों और अन्य विवरणों का खुलासा करना संभवत: जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे चल रही जांच-पड़ताल में रुकावट आ सकती है।

(ग) एवं (घ): जब कभी इस तरह का कोई अंदेशा होता है कि कोई आरोपी धनशोधन निवारण (पीएमएलए) की जांच के दौरान देश छोड़ सकता है तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'लुक आउट सर्कुलनर' (एलओसी) जारी किया जाता है। एलओसी जारी हुए किसी आरोपी द्वारा देश छोड़ने के प्रयास करने के मामले में, प्रवासी प्राधिकारी निदेशालय को सूचित करते हैं और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा, कुछेक आरोपी व्यक्ति रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) और प्रत्यर्पण अनुरोध के जारी होने से पहले से ही या तो विदेश में रह रहे होते हैं या भारत छोड़ चुके होते हैं। हाल ही में लागू हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में ऐसे आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरु की गई है जिन्होंने आपराधिक मुकदमेबाजी से बचने के लिए भारत छोड़ा है या जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमेबाजी से बचते हुए भारत में वापस लौटने से मना करते हैं।

(ङ): उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

*****